सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09.12.2024

➢ ***# अपहरण की झूठी सूचना देने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।***

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.12.2024 को वादी साहिल उर्फ राहुल पुत्र अतिराम सिंह निवासी मंगूपुर थाना भरथना जनपद इटावा एवं उसके भाई सलिल पुत्र अतिराम के द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गई कि उसके भतीजे गुलाब सिंह पुत्र शोभाराम उम्र लगभग 40 वर्ष का मेरे साडू सतीश पुत्र सुरेश निवासी नगला बांदा थाना उसराहार जनपद इटावा के द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष ऊसराहार द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो जाँच में पाया गया कि साहिल उर्फ राहुल व सतीश पुत्र सुरेश आपस में सगे साडू है तथा दोनों का आपस में शराब पीकर लड़ाई झगड़ा किया गया और साहिल उर्फ राहुल ने शराब के नशे में होने के कारण अपने साढू के विरुद्ध अपने भतीजे के अपहरण की झूठी सूचना दी गयी। **गुलाब सिंह पुत्र शोभाराम अपने घर पर पहुंच गया था जांच में अपहरण की सूचना असत्य पायी गयी।**

जिसके सम्बन्ध में साहिल उर्फ राहुल (2) सलिल कुमार पुत्र अतिराम सिंह (3) गुलाब सिंह पुत्र शोभाराम को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. साहिल उर्फ राहुल पुत्र अतिराम सिंह निवासी मंगूपुर थाना भरथना जनपद इटावा ।
2. सलिल पुत्र अतिराम सिंह निवासी मंगूपुर थाना भरथना जनपद इटावा ।
3. गुलाब सिंह पुत्र शोभाराम निवासी मंगूपुर थाना भरथना जनपद इटावा ।

पुलिस टीमः- उ0नि0 श्री मंसूर अहमद थानाध्यक्ष ऊसराहार मय टीम।